रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2009/आश्विन 21, 1931
No. 590] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2009/ASVINA 21, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर 2009

सा.का.नि. 747(अ).— स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा, पहली अक्तूबर, 2009 को आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2010 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तें अधिसूचित करती हैं:-

1. खेती करने के स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए।

2. कृषि हेतु पात्रता

इस अधिसूचना के खण्ड 3 और 7 के अध्यधीन निम्नलिखित अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र होंगे-

(i) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2008-09 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में औसतन अफीम की उपज कम से कम 53 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 46 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत अफीम उपज सौंपी थी ।

(ii) किसान जिन्होंने इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2008-09 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल को नष्ट किया हो ।

(iii) किसान जिनकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2008-09 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो।

(iv) किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2006-07 अथवा किसी अगले वर्ष में पोस्त की खेती की हो और जो अनुवर्ती वर्ष में अफीम लाइसेंस के लिए पात्र थे, किन्तु किसी कारणवश, स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथवा, जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्त की खेती वास्तव में न की हो ।

(v) किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2006-07 अथवा अनुवर्ती फसल वर्ष के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और न्यूनतम अर्हक उपज के अनुसार अफीम सौंपी थी परन्तु जिन्हें अनुवर्ती वर्ष के दौरान लाइसेंस इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला द्वारा उनके अफीम में गाढ़ापन 55 डिग्री से कम पाया गया था ।

(vi) किसान जिन्होंने वर्ष 2003-04 अथवा किसी अनुवर्ती वर्ष के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और न्यूनतम अर्हक उपज के अनुसार अफीम सौंपी थी परन्तु उन्हें अनुवर्ती वर्ष के दौरान लाइसेंस इसलिए प्रदान नहीं किया गया क्योंकि राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला द्वारा उनके अफीम में मिलावट पाई गई थी और उसे 'घटिया' के रूप में वर्गीकृत किया गया था ।

(vii) किसान जिन्हें फसल वर्ष 2004-05 अथवा किसी अनुवर्ती फसल वर्ष के लिए अफीम पोस्ट की खेती का लाइसेंस जारी किया गया था परन्तु दो अथवा इससे अधिक वर्षों तक लगातार अफीम पोस्त फसल उखाड़ने के कारण अनुवर्ती वर्ष के दौरान उन्हें लाइसेंस नहीं दिया गया था ।

(viii) किसान जिन्होंने वर्ष 2003-04 अथवा किसी अनुवर्ती वर्ष के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी परन्तु न्यूनतम अर्हक उपज की शर्त पूरी नहीं कर पाने के कारण जिन्हें अनुवर्ती वर्ष के दौरान लाइसेंस नहीं दिया गया था, परन्तु जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य में कम से कम 53 कि.ग्रा./हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश राज्य में 46 कि.ग्रा./हेक्टेयर की फसल दी थी और अन्यथा पात्र थे।

(ix) किसान जो विकलांग पात्र किसानों के कानूनन वारिश हैं और यदि वे एक से अधिक ऐसे कानूनन वारिश हैं तो उनमें से एक को लाइसेंस के उद्देश्य के लिए कानूनन वारिश के रूप में जिला अफीम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

3. लाइसेंस की शर्तें

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित बातों की पुष्टि न कर दे कि:-

(i) उसने फसल वर्ष 2008-09 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती नहीं की है।

(ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती नहीं की है तथा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगाया गया है;

(iii) फसल वर्ष 2008-09 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्ही विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया है;

4. अधिकतम क्षेत्र

(i) सभी पात्र किसानों को खंड 2 (i) और 2 (ii) के अंतर्गत 35 आरी के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। तथापि उन किसानों को 50 आरी के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाएगा जिन्होंने खंड 2(i) श्रेणी के अंतर्गत औसतन 60 कि.ग्रा./हे. और उससे अधिक की उपज दी है। अन्य पात्र किसानों को खंड 2 (iii) से 2 (ix) के अंतर्गत 25 आरी के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। किसान लाइसेंस शुदा क्षेत्र से कम क्षेत्र में खेती कर सकते हैं।

(ii) 50 आरी के क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्राप्त किसान अधिकतम चार भूखंडों में अफीम पोस्त बो सकते हैं, 35 आरी के क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्राप्त किसान अधिकतम तीन भूखंडों में अफीम पोस्त बो सकते हैं और 25 आरी के क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्राप्त किसान अधिकतम दो भूखंडों में अफीम पोस्त बो सकते हैं।

5. पूर्व चेतावनी

(i) अनुवर्ती फसल वर्ष अर्थात 2010-11 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र बनने हेतु फसल वर्ष 2009-10 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रति हैक्टेयर 58 किलोग्राम और उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर 52 किलोग्राम की न्यूनतम अर्हक उपज अवश्य सौंपी जानी चाहिए।

(ii) वर्ष 2009-10 के दौरान सौंपी गई अफीम में शामिल मॉर्फिन अवयव फसल वर्ष 2009-10 के लिए भुगतान का तथा फसल वर्ष 2010-11 में लाइसेंस हेतु पात्रता का आधार बन सकता है, यदि सरकार इस संबंध में ऐसा करने का निर्णय लेती है।